ए.

तल्ली ग्राम पंचायत

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2022 की सिविल अपील संख्या 383-384)

बी.

11 जुलाई, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 -धारा 4 (4) (सी)-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम, 2011-आर में संशोधन।3 – अधिसूचना द्वारा आर में एक परंतुक जोड़ा गया था।3 2011 के नियमों में से, जिसने असाधारण परिस्थितियों में एकल सदस्य पीठ के गठन की अनुमति दी थी-उक्त अधिसूचना को चुनौती दी गई थी-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के महान्यायवादी ने आश्वासन दिया कि जिस नियम को चुनौती दी जा रही है, उसे 2010 के अधिनियम के अनुरूप ठीक किया जाएगा-हालांकि, एनजीटी के एक एकल सदस्य ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था-आईडी 3 पर, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में निर्देश दिया कि एनजीटी के अध्यक्ष एकल सदस्य पीठ का गठन नहीं करेंगे और प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य होगा-अपीलकर्ता ने एकल सदस्य के दिनांकित आईडी 2 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी।एनजीटी के एकल सदस्य, जिन्होंने 29.01.2018 पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था, ने अन्य मामलों में इस आधार पर कोई न्यायिक आदेश पारित करने से परहेज किया था कि एकल सदस्य पीठ की संरचना पर रोक थी-स्वामित्व ने वारंट किया कि एनजीटी द्वारा एक सुसंगत कार्रवाई का पालन किया जाना चाहिए था, एक बार जब अटॉर्नी जनरल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो आश्वासन दिया गया था, उसे उसके संज्ञान में लाया गया था-उस आदेश की वाक्यांश जो सुप्रीम कोर्ट ने 31.01.2018 दिनांकित किया था, उसका उद्देश्य था कि नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में गठित एकल सदस्य पीठ के गठन पर एक

हस्तक्षेप हो-एकल सदस्य पीठ द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा स्पष्ट रूप से दूषित हो जाती है-एकल सदस्य सदस्य द्वारा लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

126 ए.

127

तल्ली ग्राम पंचायत बनाम भारत और अन्य संघ ए

एस के लिए परंतुक का दृष्टिकोण।4(4)(ग) अधिनियम का-दिनांक 16.07.2021 का विवादित आदेश और दिनांक 29.01.2018 का एनजीटी का मूल आदेश अलग कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** एनजीटी के एकल सदस्य, जिन्होंने **29** जनवरी **2018** को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था, ने अन्य मामलों में इस आधार पर कोई न्यायिक आदेश पारित करने से परहेज किया था कि एकल सदस्य पीठ की संरचना पर रोक थी।इसी दिन अन्य मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे। हालांकि, एकल सदस्य ने अपीलार्थी द्वारा दायर देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, हालांकि उन्होंने इस अदालत के समक्ष अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए अन्य मामलों में कोई आदेश पारित नहीं किया।**11** जनवरी **2018** को इस अदालत के आदेश में महान्यायवादी के आश्वासन को नोट किया गया है कि चुनौती के तहत नियम को अधिनियम और इस अदालत के फैसलों के अनुसार लाने के लिए सुधार किया जाएगा।यह सच है कि इस न्यायालय का आदेश विशेष रूप से स्थगन के लिए निर्देश दर्ज नहीं करता है।हालाँकि, इसे इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए कि महान्यायवादी ने न्यायालय के समक्ष एक गंभीर आश्वासन दिया था कि नियम को मूल अधिनियम और इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप लाने के लिए सुधार किया जाएगा।इसमें निहित सिद्धांत यह है कि प्रत्यायोजित विधान विधायिका के अधिनियमन के अनुरूप होना चाहिए जो इसे बनाने के लिए अधिकृत करता है।एक नियम शक्ति के स्रोत से ऊपर नहीं उठ

सकता है।स्वामित्व ने इस बात की गारंटी दी कि एक बार अटॉर्नी जनरल द्वारा इस अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन को उसके संज्ञान में लाए जाने के बाद एनजीटी द्वारा एक सुसंगत कार्रवाई का पालन किया जाना चाहिए था।**31** जनवरी **2018** को इस न्यायालय के आदेश में निर्देश दिया गया कि "इस बीच**,** अध्यक्ष एकल सदस्य पीठ का गठन नहीं करेगा।**”.**"इस बीच" वाक्यांश यह स्पष्ट करता है कि जब कार्यपालिका अधिनियम और निर्णयों के साथ नियम की विसंगति पर विचार**-**विमर्श करती है**,** तो इसके कार्यान्वयन पर प्रतिबंध होगा।इस प्रकार**,** आदेश के वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का इरादा था कि नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में गठित एकल सदस्य पीठों के गठन पर एक हस्तक्षेप हो।एकल सदस्य पीठ द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा स्पष्ट रूप से दूषित है।एकल सदस्य

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

एनजीटी अधिनियम **2010** की धारा **4 (4) (**सी**)** के प्रावधान को देखते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था**,** जिसमें कहा गया है कि अपील या आवेदन की सुनवाई करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों की संख्या के बराबर होगी**,** जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि पीठ में कम से कम एक विशेषज्ञ सदस्य होगा।**[**पैरा **12] [133-**एफ**; 134-**ए**-**एफ**]**

बी.

सेव मोन रीजन फेडरेशन बनाम भारत संघ **2013**

(1) अखिल भारतीय एनजीटी रिपोर्टर 1; गोवा फाउंडेशन,

इसके सचिव बनाम गोवा पर्यटन विकास के माध्यम से

निगम (ओए सं. 156/2016); राजाभाउ पवार बनाम

गोवा राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से **(**ओ**.** ए**.** सं**. 97/2016);** गोवा फाउंडेशन बनाम गोवा राज्य ई**.** आई**.** ए**.** ए**. (**ओ**.** ए**.**

सी.

नं**. 33/2015)-**संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 383-384।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिनांक 16.07.2021 के निर्णय और आदेश से, 2017 की अपील संख्या 36 (डब्ल्यू. जेड.) में 2017 की एम. ए. संख्या 262 में 2019 की एम. ए. संख्या 03 और 2019 की एम. ए. संख्या 04 की प्रधान पीठ।

डी.

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिमन्यु श्रेष्ठ, सातविक पारिख, दिव्यांश खुराना, शिवम तोमर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, दिग्विजय दाम, सुश्री पूर्णिमा सिंह, जी. एस. मक्कर, सुश्री वनिता भार्गव, अजय भार्गव, सुश्री श्वेता काबरा, सुश्री प्रेरणा सिंह, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. ये अपीलें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 1 के 16 जुलाई 2021 के एक आदेश से उत्पन्न होती हैं। अपीलार्थी ने 5 जनवरी 2017 के एक पत्र द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 2 को पर्यावरण मंजूरी के अनुदान को चुनौती दी।एनजीटी ने विवादित फैसले से एकल सदस्य के आदेश को वापस लेने और देरी को माफ करने के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया।

जी.

1 “एनजीटी "

2 “चौथा उत्तरदाता "

एच.

तल्ली ग्राम पंचायत बनाम भारत और अन्य का संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

ए.

2. 5 जनवरी 2017 के एक पत्र द्वारा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 3 ने गुजरात राज्य के भावनगर जिले के तालुका तलेंजा में स्थित गाँव तल्ली और बाम्बोर में 53 लाख टन प्रति वर्ष की कुल उत्पादन क्षमता के साथ चूना पत्थर खनन के लिए चौथे प्रत्यर्थी को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की।चौथे प्रत्यर्थी ने 12 जनवरी 2017 को 9 जनवरी 2017 को एक पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत के तलाठी-सह-मंत्री को पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति दी। चौथे प्रत्यर्थी ने 11 जनवरी 2017 को गुजराती में "सौराष्ट्र समाचार" और अंग्रेजी में "गुजरात समाचार" में पर्यावरण मंजूरी देने पर एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया। अपीलार्थी ने 4 पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी जिसे एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत चौथे प्रत्यर्थी को निम्नलिखित सहित कई आधारों पर दिया गया थाः

बी.

सी.

“क) यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि इसे ब्रूजाद गिर के रूप में अधिसूचित किया गया है। उसी को परियोजना प्रस्तावक द्वारा छुपाया गया है।

डी.

ख) 193.3269 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में से 155.3269 a निजी कृषि भूमि है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान और खनिज विकास अधिनियम के तहत अनिवार्य सभी भूमि धारकों की सहमति प्राप्त नहीं की गई है।इस तरह, भूमि धारकों को भी इस प्रक्रिया में कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि निर्णय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संरक्षित उनके भूमि अधिकारों को प्रभावित करता है।

ई.

ग) यह क्षेत्र चार बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में आता है, जिसका निर्माण सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित है।

एफ.

घ) यदि खनन की अनुमति दी जाती है तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन और आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।”3. अपीलार्थी ने विलंब की क्षमा के लिए आवेदन दायर करने के लिए अनुमति प्राप्त की क्योंकि अपील 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद दायर की गई थी।चौथे प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि नोटिस 11 जनवरी 2017 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और पत्र 12 जनवरी 2017 को

तलाथी-सह-मंत्री को दिया गया था और इसलिए, सीमा की अवधि की गणना इन तिथियों से की जानी चाहिए।हालांकि, अपीलार्थी

जी.

3 “एमओईएफसीसी "

4 2017 की अपील संख्या 36

5 2017 ए की अपील संख्या 36 में 2017 का एमए 262

एच.

130

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

तर्क दिया कि प्रकाशन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के खंड 10 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था

सेव मोन रीजन फेडरेशन बनाम यूनियन में व्याख्या के अनुसार अधिसूचना

भारत का 6.अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए और जनता के लिए सुलभ और डाउनलोड करने योग्य होना चाहिए।देरी को माफ करने के आवेदन के साथ अपील पर 24 नवंबर 2017 को सुनवाई हुई।इसे ध्यान में रखते हुए

बी.

सेव मोन रीजन फेडरेशन (ऊपर), न्यायाधिकरण में कानून की स्थिति

इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वेबसाइट पर अपलोड की गई पर्यावरण मंजूरी जनता के लिए सुलभ थी और इसे डाउनलोड किया जा सकता था।

सी.

4. 1 दिसंबर 2017 को, एमओईएफसीसी ने अधिसूचना जीएसआर संख्या 1473 (ई) 8 द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम 2011 7 में एक संशोधन पेश किया।अधिसूचना द्वारा, 2011 के नियमों के नियम 3 में एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसने असाधारण परिस्थितियों में एकल सदस्य पीठों के गठन की अनुमति दी थी।अधिसूचना द्वारा संशोधित 2011 के नियमों का नियम 3 इस प्रकार है:

डी.

“ न्यायाधिकरण की बैठकों के विभिन्न सामान्य स्थानों या स्थानों के बीच व्यवसाय का वितरण।- (1) अध्यक्ष

दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ का गठन किया जा सकता है जिसमें कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य हो।

ई.

[बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष एकल सदस्य पीठ का गठन कर सकता है] "

5. इसके बाद, 5 दिसंबर 2017 के एक कार्यालय आदेश द्वारा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने 2011 के नियमों के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों की कमी के कारण क्षेत्रीय पीठों में एकल सदस्य पीठों का गठन किया।कार्यालय का आदेश इस प्रकार हैः

एफ.

“राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम 2011 के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना सं. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जी. एस. आर. 1473 (ई) दिनांक 1 दिसंबर, 2017 और कमी के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में प्रचलित असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए

जी.

6 2013 (1) अखिल भारतीय एनजीटी रिपोर्टर 1 7 "2011 नियम"

8 “अधिसूचना "

एच.

ए.

न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय शाखाओं में एकल सदस्य पीठ के गठन की आवश्यकता।तदनुसार, न्यायाधिकरण का कार्य संचालन करने के लिए एन. जी. टी. एस. जेड. बी. (चेन्नई), एन. जी. टी. सी. जेड. बी. (भोपाल), एन. जी. टी. डब्ल्यू. जेड. बी. (पुणे) और एन. जी. टी. ई. जेड. बी. (कोलकाता) की क्षेत्रीय पीठों में एक एकल सदस्य पीठ का गठन किया गया है जो कानून के अनुसार मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से सशक्त होगी।”

बी.

6. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन (पश्चिमी पीठ) ने 1 दिसंबर 2017 की अधिसूचना और 5 दिसंबर 2017 को एनजीटी के अध्यक्ष द्वारा जारी कार्यालय आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका 9 दायर की कि उन्होंने एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 4 (4) (सी) का उल्लंघन किया है, जिसमें प्रत्येक पीठ में समान संख्या में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होने की आवश्यकता है।इस न्यायालय ने 11 जनवरी 2018 को याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

सी.

“इस याचिका की एक प्रति भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल की सहायता करने वाले विद्वान ए. एस. जी. श्री पी. एस. नरसिम्हा को प्रदान की जाए।श्री वेणुगोपाल द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि जिस नियम को चुनौती दी जा रही है, उसे अधिनियम के अनुरूप और इस न्यायालय के निर्णयों की भावना के अनुरूप सुधार किया जाएगा।”

डी.

ई.

7. 29 जनवरी 2018 को, एनजीटी के एक एकल सदस्य ने विलंब की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, जो अपीलार्थी द्वारा गैर-अभियोजन के लिए दायर किया गया था।एकल सदस्य का क्रम इस प्रकार हैः“आवेदक अनुपस्थित है।

समूह में सभी प्रत्यर्थीगण इस मामले के अभियोजन में आवेदक की परिश्रम की कमी की ओर इशारा करते हुए इस आवेदन को खारिज करने की मांग करते हैं।

एफ.

रिकॉर्ड पर गौर किया।जैसा कि प्रत्यर्थीगणओं ने बताया कि

आवेदक ने इस मामले के अभियोजन में कोई परिश्रम नहीं दिखाया है।इसलिए, आवेदन एम. ए. सं. 262/2017 को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अस्वीकार कर दिया जाता है।”

जी.

31 जनवरी 2018 को, इस अदालत ने सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में निर्देश दिया कि एनजीटी के अध्यक्ष

एच.

एकल सदस्य पीठ का गठन नहीं करता है और प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य होगा।इसके बाद, एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से किसी भी क्षेत्रीय पीठ में किसी भी एकल सदस्य पीठ का गठन नहीं किया जाएगा।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने 29 जनवरी 2018 10 के एकल सदस्य के आदेश को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी, साथ ही वापस बुलाए जाने के आदेश के पारित होने के एक साल बाद आवेदन को स्थानांतरित करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी।आवेदनों को दायर किए जाने के दो साल बाद सुनवाई के लिए लिया गया था।16 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने दोनों आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भले ही आदेश को वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया हो, अपील दायर करने में देरी की माफी के आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायाधिकरण ने कहा कि विलंब की माफी की मांग करने में अपीलकर्ता का एकमात्र आधार यह है कि उन्हें पर्यावरण मंजूरी देने के बारे में जानकारी नहीं थी।इसने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण मंजूरी विधिवत अपलोड की गई थी और सीमा की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब आदेश अपलोड किया गया था।यह देखा गया:“भले ही हम वापस बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि एमए

बी.

सी.

डी.

सं. 262/2017 (WZ), बाम्बोर ग्राम पंचायत और अन्य।पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य, जो क्षमा के लिए है

अपील दायर करने में देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दलील दी गई है कि अपीलार्थी को निर्वाचन आयोग के अनुदान की जानकारी नहीं थी। ईसी को विधिवत अपलोड किया गया था और व्यक्तिगत ज्ञान प्रारंभिक बिंदु नहीं है।ई. सी. को 05.01.2017 पर मंजूरी दी गई थी जबकि अपील 19.4.2017 पर सीमा की निर्धारित अवधि से परे दायर की गई थी और उस सीमा की अवधि के लिए भी जिसके लिए यह न्यायाधिकरण माफ कर सकता है।”9. अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए ये

कार्यवाही शुरू की कि 29 जनवरी 2018 को एकल सदस्य द्वारा पारित आदेश अमान्य है क्योंकि एकल सदस्य वाली पीठ का गठन एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 4 (4) (सी) का उल्लंघन है।अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि जो वकील पहले इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लगा हुआ था, उसने फाइल वापस कर दी क्योंकि उसे एक सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने इस जानकारी को न्यायाधिकरण के संज्ञान में लाया था। अपीलार्थी ने आग्रह किया कि बाद में अपीलार्थी द्वारा नियुक्त वकील को इस तथ्य के बावजूद सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया कि अपील की गई थी

ई.

एफ.

जी.

10 2019 ए का एम. ए. नंबर 3 11 एम. ए. नंबर 4

एच.

133

तल्ली ग्राम पंचायत बनाम भारत और अन्य का संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

लंबे अंतराल के बाद।इस प्रकार अपीलार्थी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की याचिका दायर की।

10. इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, चौथे प्रत्यर्थी ने तर्क दिया

कि -

(i) पर्यावरण मंजूरी का आदेश 5 जनवरी 2017 को सूचित किया गया था और न्यायाधिकरण के पास एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 16 के प्रावधान के तहत 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है, भले ही पर्याप्त कारण दिखाया गया हो।

बी.

((ख) अपीलार्थी का आचरण लापरवाही भरा रहा है क्योंकि वह कई अवसरों पर न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है; और

सी.

(iii) 29 जनवरी 2018 को आदेश पारित होने के समय एकल सदस्य गैर-न्यायिक नहीं था क्योंकि इस न्यायालय का आदेश कि एकल सदस्य पीठों का गठन नहीं किया जाएगा, दो दिन बाद 31 जनवरी 2018 को पारित किया गया था।

डी.

11. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधिकरण का कोई एकल सदस्य कार्यवाही से निपट सकता था और 29 जनवरी 2018 को बहाली और देरी को माफ करने के लिए आवेदनों को खारिज कर सकता था, जब भारत के अटॉर्नी जनरल ने 11 जनवरी 2018 को इस न्यायालय को आश्वासन दिया था कि नियम 3 के प्रावधान को अधिनियम और इस न्यायालय के फैसलों के अनुरूप ठीक किया जाएगा।31 जनवरी 2018 को इस न्यायालय ने एनजीटी के अध्यक्ष को एकल सदस्य पीठों का गठन नहीं करने का भी निर्देश दिया।

ई.

12. एनजीटी के एकल सदस्य, जिन्होंने 29 जनवरी 2018 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था, ने अन्य मामलों में इस आधार पर कोई न्यायिक आदेश पारित करने से परहेज किया था कि एकल सदस्य पीठ की संरचना पर रोक थी।23 जनवरी 2018 के एक आदेश में, 12 सदस्य ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख कियाः“चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं।वे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायाधिकरण की एकल सदस्य पीठ की संरचना के संबंध में रोक को देखते हुए मामले को कुछ समय बाद सुनवाई के लिए लिया जाए।अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।1 मार्च, 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए सूची बनाएँ।”

एफ.

जी.

12 गोवा फाउंडेशन, अपने सचिव बनाम गोवा पर्यटन विकास निगम (ओए सं. 156/2016) के माध्यम से

एच.

इसी दिन अन्य मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे।13 हालांकि, एकल सदस्य ने अपीलार्थी द्वारा दायर देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, हालांकि उन्होंने इस अदालत के समक्ष अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए अन्य मामलों में कोई आदेश पारित नहीं किया।11 जनवरी 2018 को इस अदालत के आदेश में महान्यायवादी के आश्वासन को नोट किया गया है कि चुनौती के तहत नियम को अधिनियम और इस अदालत के फैसलों के अनुसार लाने के लिए सुधार किया जाएगा।यह सच

है कि इस न्यायालय का आदेश विशेष रूप से स्थगन के लिए निर्देश दर्ज नहीं करता है। हालाँकि, इसे इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए कि महान्यायवादी ने न्यायालय के समक्ष एक गंभीर आश्वासन दिया था कि नियम को मूल अधिनियम और इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप लाने के लिए सुधार किया जाएगा।इसमें निहित सिद्धांत यह है कि प्रत्यायोजित विधान विधायिका के अधिनियमन के अनुरूप होना चाहिए जो इसे बनाने के लिए अधिकृत करता है।एक नियम शक्ति के स्रोत से ऊपर नहीं उठ सकता है।स्वामित्व ने इस बात की गारंटी दी कि एक बार अटॉर्नी जनरल द्वारा इस अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन को उसके संज्ञान में लाए जाने के बाद एनजीटी द्वारा एक सुसंगत कार्रवाई का पालन किया जाना चाहिए था।31 जनवरी 2018 को इस न्यायालय के आदेश में निर्देश दिया गया कि "इस बीच, अध्यक्ष एकल सदस्य पीठ का गठन नहीं करेगा।"."इस बीच" वाक्यांश यह स्पष्ट करता है कि जब कार्यपालिका अधिनियम और निर्णयों के साथ नियम की विसंगति पर विचार-विमर्श करती है, तो इसके कार्यान्वयन पर प्रतिबंध होगा।इस प्रकार, आदेश के वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का इरादा था कि नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में गठित एकल सदस्य पीठों के गठन पर एक हस्तक्षेप हो।एकल सदस्य पीठ द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा स्पष्ट रूप से दूषित है।एकल सदस्य एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 4 (4) (सी) के प्रावधान को देखते हुए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था, जिसमें कहा गया है कि अपील या आवेदन की सुनवाई करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों की संख्या के बराबर होगी, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि पीठ में कम से कम एक विशेषज्ञ सदस्य होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

13. हम तदनुसार अपीलों की अनुमति देते हैं और 16 जुलाई 2021 के एनजीटी के विवादित आदेश को दरकिनार कर देते हैं।एनजीटी के 29 जनवरी 2018 के मूल आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा।2017 की अपील संख्या 36 को नए सिरे से निपटाने के लिए एनजीटी की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा।सीमा के मुद्दे सहित पक्षों के सभी अधिकार और विवाद हैं

जी.

13 राजाभाउ पवार बनाम गोवा राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से (ओ. ए. सं. 97/2016); गोवा फाउंडेशन बनाम गोवा राज्य ई. आई. ए. ए. (ओ. ए. सं. 33/2015); ए.

एच.

खुला रखा।इस न्यायालय ने अपीलों के गुण-दोष पर कोई अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं की है।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

बी.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.